न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :- 64/2020

उनवान

बाबूलाल प्रजापति पुत्र घीसालाल जाति कुम्हार नि. बिशनगढ़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. चम्पा देवी पत्नी बहादुर
2. मीरा देवी पत्नी रामलाल
3. सुरजी देवी पत्नी शिम्भूदयाल (नाम हजफ)
4. भोलू राम पुत्र शिम्भूदयाल (नाम हजफ)
5. बाबूलाल पुत्र शिम्भूदयाल
6. नेमीचन्द पुत्र शिम्भूदयाल
7. केसरी देवी पुत्री शिम्भूदयाल (नाम हजफ)
8. ममता पुत्री शिम्भूदयाल (नाम हजफ)

समस्त जाति कुम्हार नि. बिशनगढ़ तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
10. नोसर देवी पत्नी बाबूलाल
11. पिंकी देवी पत्नी नेमी चन्द समस्त जाति कुम्हार नि. बिशनगढ़ तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा (तकास्मा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए-1955

निर्णय दिनांक: 19-7-21।

दावा संक्षेप में यह है कि आराजी खाता सं. 365 के खसरा नम्बर 694 रकबा 0.34 हे0 भूमि कुल किता 1 रकबा 0.34 हे0 वाके ग्राम बिशनगढ़ तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित है। जिसमें वादी का हिस्सा 25/34 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। आराजी मुतनाजा वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त सहखातेदारी की शामलाती भूमि है जिसमें वादी अपने हिस्से पर पुख्ता मकान व तामीरात कर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता आ रहा है तथा प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है जिसका आज तक वैधानिक बंटवारा नहीं हुआ है जबकि शामलाती में ही अपने अपने हिस्से का उपयोग उपभोग करते आये है। वादी कंट्रेक्टर पेश व्यक्ति है जो अपने काम से अधिकतर बाहर रहता है तथा अपने हिस्से की भूमि की किस्म परिवर्तन करवाकर रहवास हेतू उच्पयोग उपभोग चाहता है। वादी ने प्रतिवादीगण को विधिवत कानूनी बंटवारा करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण एकदम से आवेशित हो गये तथा वादी के साथ आमादा फिसाद हो गये तथा आसपास के लोगो की समझाईस पर भी नहीं माने तथा वादी को कानूनी बंटवारा हेतु साफ इंकारी होने के कारण वादी अपने विधिक अधिकारों की सुरक्षार्थ वाद पत्र पेश करना अति आवश्यकत हुआ है।

वादी के द्वारा वादपत्र पेश होने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर दिनांक 20.10.2020 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा से कुर्रेजात बंटवारा प्रस्ताव तेयार कर भिजवाने के निर्देश प्रदान किये गये । तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2021/ 1210 दिनांक 19.4.2021 के द्वारा बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर भिजवाई गई। बंटवारा प्रस्ताव पर वकील वादी ने अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रतिवादी सं0 3, 4 7 व 8 का नाम हफज हेतु वकील वादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया चूंकि खातेदार शिम्भूदयाल ने अपनी जीवन काल में ही उक्त भूमि का बैचान किया जा चुका था तथा विकय पत्र की प्रति भी पेश की । बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर केता के हस्ताक्षर भी है जिससे स्पष्ट है कि बंटवारा कुर्रेजात के रिपोर्ट में प्रतिवादी सं0 5 व 6 मौके पर उपस्थित आये है तथा प्रतिवादी स0 3, 4 7 व 8 का उक्त भूमि में अब कोई हक हिस्सा नहीं रहा है । इस प्रकार वकील वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नाम हजफ व नये पक्षकार नोसर देवी पत्नि बाबूलाल व पिंकी देवी पत्नि नेमीचन्द को पक्षकार मुकदमा बनाये जाने का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। वकीलवादी ने संसोधित टाईटल पेश किया। एवं प्रतिवादी स0 10 व 11 की ओर से राजेन्द्र यादव एडवॉकेट ने वकालतनामा पेश किया। और कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार बंटवारा करने को सहमति दी। वकील उभयपक्ष मे तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार डिक्री किये जाने हेतू निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आ.ख.न. 694 0.34 हे0 भूमि वाके ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है --

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है।कि आ.ख.नं. 694/0.34 है0 भूमि वाके ग्राम बिशनगढ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1 चम्पा देवी पत्नी बहादुर जाति कुम्हार व मीरा देवी पत्नी रामलाल सा.देह खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 694 मी. रकबा 0.0583 है0 भूमि रहेगी।

2. बाबूलाल पुत्र घीसालालजाति कुम्हार निवासी सा.देह खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 694 मी. रकबा 0.2500 है0 भूमि रहेगी।

3. बाबूलाल पुत्र शिम्भुदयाल ,नेमीचन्द पुत्र शिम्भुदयाल , नोसर देवी पत्नी बाबूलाल व पिंकी देवी पत्नी नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी सा.देह खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 694 मी. रकबा 0.0317 है0 भूमि रहेगी।

नोट–शिम्भुदयाल पुत्र चौथमल जाति कुम्हार के द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार बाबूलाल पुत्र शिम्भुदयाल ,नेमीचन्द पुत्र शिम्भुदयाल , नोसर देवी पत्नी बाबूलाल व पिंकी देवी पत्नी नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

(मनमोहन)
उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 64/2020

उनवान

बाबूलाल प्रजापति पुत्र घीसालाल जाति कुम्हार नि. बिशनगढ़ तह० शाहपुरा जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. चम्पा देवी पत्नी बहादुर
2. मीरा देवी पत्नी रामलाल
3. सुरजी देवी पत्नी शिम्भूदयाल (नाम हजफ)
4. मोलू राम पुत्र शिम्भूदयाल (नाम हजफ)
5. बाबूलाल पुत्र शिम्भूदयाल
6. नेमीचन्द पुत्र शिम्भूदयाल
7. केसरी देवी पुत्री शिम्भूदयाल (नाम हजफ)
8. ममता पुत्री शिम्भूदयाल (नाम हजफ)

समस्त जाति कुम्हार नि. बिशनगढ़ तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर
10. नोसर देवी पत्नी बाबूलाल
11. पिंकी देवी पत्नी नेमी चन्द समस्त जाति कुम्हार नि. बिशनगढ़ तह. शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा (तकासमा) एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी ए–1955

निर्णय दिनांकः

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है।कि आ.ख.नं. 694/0.34 है0 भूमि वाके ग्राम बिशनगढ़ तह0 शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1 चम्पा देवी पत्नी बहादुर जाति कुम्हार व मीरा देवी पत्नी रामलाल सा.देह खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 694 मी. रकबा 0.0583 है0 भूमि रहेगी।

2. बाबूलाल पुत्र घीसालालजाति कुम्हार निवासी सा.देह खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 694 मी. रकबा 0.2500 है0 भूमि रहेगी।

3. बाबूलाल पुत्र शिम्भुदयाल ,नेमीचन्द पुत्र शिम्भुदयाल , नोसर देवी पत्नी बाबूलाल व पिंकी देवी पत्नी नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी सा.देह खातेदार के हिस्से में आ.ख.न. 694 मी. रकबा 0.0317 है0 भूमि रहेगी।

नोट–शिम्भुदयाल पुत्र चौथमल जाति कुम्हार के द्वारा विक्रय पत्र के अनुसार बाबूलाल पुत्र शिम्भुदयाल ,नेमीचन्द पुत्र शिम्भुदयाल , नोसर देवी पत्नी बाबूलाल व पिंकी देवी पत्नी नेमीचन्द जाति कुम्हार निवासी सा.देह खातेदार के हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीया /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दस्तन्दाजी पैदा नहीं करें ।

निर्णय आज दिनांक 19/7/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मनमोहन मीना)

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर

शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर

शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4 ____ रूपये पर प्लीडर की फीस 5 साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6 कमिश्नर की फीस 7 आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	

Scanned with CamScanner